

11/10/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण पुत्र नारायण दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनाथ पुत्र नारायण है। यह भूमि प्रार्थी के पिता को आवंटन से प्राप्त हुयी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम रामनारायण पुत्र नारायण गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनाथ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व पडौसी बाबूलाल पुत्र नोपाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता खातेदार का नाम रामनारायण पुत्र नारायण गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के पिता का सही नाम रामनाथ पुत्र नारायण है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं के शपथ पत्र, गवाहान के शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।



(बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी (नीमकाथाना)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
रायपुर पाटन	खाता सं0 351	<u>रामनारायण पुत्र नारायण</u>	<u>रामनाथ पुत्र नारायण</u>

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैंसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी (नीमकाथाना)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

